

परिशिष्ट क्र. 1

विधानसभा अतायंकित प्रश्न क्रमांक 3022 की जानकारी

| क्र. | जिले का नाम | बैंक/विपणन संस्था का नाम | अप्रैल 2014 से 2017 के बीच नियुक्त किये कर्मचारियों की जानकारी | कालम 4 में उल्लेखित कर्मचारियों में हटये गये कर्मचारी को हटाने का दिनांक | कालम 5 में हटये गये कर्मचारियों से पुनः रखे गये कर्मचारियों का आदेश/दिनांक | पुनः सेवा में रखने का कारण | उक्त सम्बंध में शासन/पंजीयक के निर्देशों की प्रति | प्रारूप - 2 दोषी यदि कोई है तो उसका नाम तथा की गई कार्यवाही का विवरण |
|------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. | विदिशा | 3 विपणन सहकारी समिति ग्यारसपुर | 4 1. रामबाबू रघुवंशी, विक्रेता 2. हेमंत कुमार मैनिया, भृत्य | 5 24.10.2016 | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
| 2. | | विपणन सहकारी समिति सिरौज | 1. योगेश कुमार जैन, विक्रेता | 24.10.2016 | - | - | - | - |
| 3. | | विपणन सहकारी समिति विदिशा | 1. किशन रघुवंशी, कम्प्यूटर आपरेटर | 09.12.2016 | - | - | - | - |
| | | | 2. भीकम सिंह रघुवंशी, कम्प्यूटर आपरेटर | दि. 15.02. 2015 को स्वच्छा से छोड़कर चले गए। दिनांक 21.03. 2017 | आयुक्त एवं पंजीयक के पत्र क्रं./विप./वि.स. स./98/2017/1670, दिनांक 31.05.2017 में संस्था में 03 कर्मचारियों को 24.03. 2017 को 15.06. 2017 तक रखे जाने की अनुमति के परिप्रेक्ष्य में रखा गया। उक्त कर्मचारी को संस्था के संचालक मंडल के | रबी उपार्जन एवं संस्था के खरीदी के सम्बंध में। | संलग्न | - |

(4)

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | व्यव क.01 दि.08. 06.2017 से निरंतर रखा गया है। | | |
| 3. शिवशंकर रघुवंशी, दैनिक अस्थायी कर्मचारी | दिनांक 21.03. 2017 | आयुक्त एवं पंजीयक के पत्र क्र./विप./वि.स. स./98/2017/1670, दिनांक 31.05.2017 में संस्था में 03 कर्मचारियों को 24.03. 2017 को रखे जाने की अनुमति के परिप्रेक्ष्य में रखा गया। उक्त कर्मचारी को संस्था के संचालक मंडल के व्यव क.01 दि.08. 06.2017 से निरंतर रखा गया है। | रबी उपार्जन एवं संस्था के खरीदी के सम्बंध में | संलग्न | | |

22/12/18

उप आयुक्त
सहकारिता जिला विदिशा

Handwritten signature

मनुज आधिकारी
H/o प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, म०प्र०
कमांक/समन्वय/2016/ 751 भोपाल, दिनांक 22-7-16

प्रति,
उपायुक्त,
सहकारिता,
जिला विदिशा

विषय:-विदिशा जिले में नियम विरुद्ध रखे गये कर्मचारियों को पद से पृथक करने बावत ।

उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक 3369 दिनांक 22.07.2016 द्वारा श्री शैलेन्द्र पटेल, माननीय विधायक के संदर्भ में प्राप्त जानकारी से यह स्पष्ट हुआ है कि विदिशा जिले में संस्था की आर्थिक स्थिति के अनुसार कर्मचारी नियुक्त करने की पात्रता का परीक्षण नहीं किया गया और उक्तानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय निर्धारित प्रकिया का पालन भी नहीं किया गया है ।

अतएव तदनुसार लेख है कि विदिशा जिले में दिनांक 01.04.2014 से अभी तक नियम विरुद्ध रखे गये कर्मचारियों को पद से पृथक करने की कार्यवाही करें । इसके साथ ही उनके नियोक्ताओं के विरुद्ध भी विधि अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

Urgent
विदिशा

11.8.16
JDB



अनुमता अधिकारी,
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.